न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00440

सोहन लाल उर्फ दुर्गाशंकर आयु करीब 70 वर्ष आत्मज श्री रघुनाथ दास जाति बैरागी निवीास ग्राम नीम का खेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्री महावीर प्रसाद आयु करीब 50 वर्ष आत्मज श्री मोहन लाल बैरागी जाति बैरागी निवासी ग्राम नीमा का खेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. श्रीमती कजोडी आयु 77 वर्ष विधवा श्री मोहन लाल जाति बैरागी ।
3. श्रीमती शंकुलता आयु 57 वर्ष पुत्री श्री मोहन लाल जाति बैरागी ।
4. श्रीमती गुड्डी आयु 46 वर्ष पुत्री श्री मोहन लाल जाति बैरागी ।
5. श्रीमती राजेश आयु 42 वर्ष पुत्री श्री मोहन लाल जाति बैरागी ।
6. श्रीमती संतोष आयु 40 वर्ष पुत्री श्री मोहन लाल जाति बैरागी ।
7. श्रीमती अंजू आयु 37 वर्ष पुत्री श्री मोहन लाल जाति बैरागी ।
8. हनुमान प्रसाद आयु 48 वर्ष पुत्र श्री मोहन लाल जाति बैरागी निवासीगण ग्राम नीमा का खेडा तहसील एंव जिला बून्दी ।
9. प्रेम बाई पत्नी श्री रामलाल जाति गुर्जर निवासी बहरली बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
11. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री बृजराज शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री कैलाश गुप्ता, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 7 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 19.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 7 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नीमका खेडा तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 372 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 375 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1109 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल 11 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में महावीर प्रसाद, हनुमान प्रसाद पिसरान मोहनदास मु0 कजोडी बेवा मोहन दास, शंकुतला, गुड्डी, संतोष, अंजू व राजेश पुत्रियॉ मोहन दास हिस्सा 1/2, दुर्गाशंकर उर्फ सोहन लाल हिस्सा 1/2 दर्ज है । उक्त भूमि के पूर्व खातेदार स्वर्गीय रघुनाथ दास आत्मज बालमुकुन्द दास थे । रूघनाथ दास जी ने अपने जीवनकाल में ही उनके छोटे पुत्र अप्रार्थी कम 01 सोहन लाल को अपने सगे भाई धन्नादास को गोद दे दिया था । इस कारण अप्रार्थी कम 01 का उक्त भूमि में कोई अधिकार शेष नहीं रहा था किन्तु रूघनाथ जी के स्वर्गवास के पश्चात् खोले गये फौती नामान्तरकरण में रूघनाथ के उत्तराधिकारियों में खातेदार के स्थान पर अप्रार्थी कम 01 सोहन लाल उर्फ दुर्गाशंकर का नाम भी अवैध रूप से दर्ज कर दिया । इस अवैध प्रवृष्टि से अप्रार्थी कम 01 को उक्त आराजी में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है । उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी हनुमान प्रसाद के कब्जे काश्त में खातेदार के रूप में उनके पिता मोहनदास के जीवनकाल से निरन्तर अभी तक चली आ रही है । खसरा नम्बर 371 रकबा 15 बिस्वा गै0मु0 चाह है जो वर्तमान में खाता संख्या 292 में महावीर प्रसाद, हनुमान प्रसाद पिसरान मोहन लाल मु0 कजोडी बेवा मोहन लाल, शंकुन्तला, गुड्डी, संतोष, अंजू राजेश पुत्रियॉ मोहन लाल हिस्सा 1/4, सोहन लाल हिस्सा 1/6, प्रेमबाई पत्नी रामलाल हिस्सा 1/3 खातेदार दर्ज है । रूघनाथजी के स्वर्गवास के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों की गलती से उनके उत्तराधिकारी के रूप में 1/4 हिस्सा मोहन लाल दास का तथा 1/4 हिस्सा दुर्गाशंकर दास का दर्ज कर दिया जबकि धन्नादास का गोद पुत्र होने से 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सोहन लाल उर्फ दुर्गाशंकर का दर्ज किया गया जिसमें से 1/3 हिस्सा उसके द्वारा अप्रार्थी श्रीमती प्रेमबाई को बेचान कर दिया गया और शेष 1/6 हिस्सा सोहन लाल के खाते में दर्ज कर दिया गया किन्तु पिता के स्थान पर दत्तक पिता धन्ना दास के स्थान पर रूघनाथ दास का दर्ज कर दिया । उक्त कुए में रूघनाथ दास के उत्तराधिकारी के रूप में अप्रार्थी का 1/4 हिस्सा अवैध दर्ज किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अप्रार्थी कम 01 की नीयत में अंतर आ गया है उसे स्वर्गीय धन्नादास गोद पिता से प्राप्त कृषि भूमि का हिस्सा अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दिया है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 व 6 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी कम 01 के नाम दर्ज हो रही अवैध प्रविष्टि का अनुचित लाभ उठाने के लिए उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिसका उन्हें अधिकार नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद चरण संख्या 5 में वर्णित कृषि भूमि के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा नहीं करे प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्तियों को रहन, बेचान नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी क्रम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.10.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 06.05.2016 को ताफैसला वाद कन्फर्म करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2019 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.05.2016 को एकतरफा आदेश पारित किया था जिसे अपने निर्णय में कन्फर्म किया गया है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की भूमि है और एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट को स्वर्गीय धन्नादास जी ने कभी गोद नहीं लिया था । स्वर्गीय धन्नादास जी के द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इंतकाल संख्या 624 दिनांक 24.11.1990 अपीलान्ट के नाम दर्ज किया गया है । अपीलान्ट स्व0 रघुनाथ जी का प्राकृतिक पुत्र है। वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा निहित है जिस पर वह काबिज काश्त है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का परीक्षण न्यायालय में पेश किया और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 8 का 1/2 हिस्सा व अपीलान्ट दुर्गाशंकर उर्फ सोहन लाल का 1/2 हिस्सा दर्ज है । यह भी कथन किया है कि चूँकि दुर्गाशंकर उर्फ सोहनलाल धन्नादास के गोद गया है उनका हिस्सा गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है । अतः उनका नाम विलोपित किया जावे। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.05.2016 को रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का एकपक्षीय आदेश पारित किया । दिनांक 19.06.2019 को अपीलान्ट ने अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सीपीसी के तहत एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर विवेचन कि बिना अपीलाधीन आदेश से दिनांक 06.05.2016 से आदेश को कन्फर्म कर दिया । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में रघुनाथ का प्राकृतिक पुत्र होने के नाते रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है । अपीलान्ट ने बैंक से ऋण भी लिया है जिसका जमाबन्दी में नोट है । सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता । यदि अंतरिम स्थगन आदेश दिया जाता है तो प्रकरण का एक माह में निस्तारण किया जाना चाहिए । आदेश 39 नियम 04 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को पहले निस्तारित करना चाहिए था फिर कोई आदेश पारित करना चाहिए था । अवैधानिक आदेश को निरस्त करने के बजाय उसे कन्फर्म कर दिया । अपीलान्ट धन्नादास का दत्तक पुत्र नहीं है । धन्नादास की वसीयत के आधार पर इंतकाल संख्या

624 अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज किया गया है । दत्तक के बाबत् कोई भी आदेश सिविल न्यायालय के द्वारा ही जारी किया जा सकता है । अपीलान्ट 1/2 हिस्से पर काबिज है और 1/2 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार है । अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किया और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्डेड पर लिये जाने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2019 निरस्त करने की प्रार्थना की । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2010 (17) पेज 626, आरबीजे 1997 (4) पेज 110, आरबीजे 1996 (3) पेज 552, डीएनजे 2019 (एससी) पेज 370, डीएनजे 2016 (1) पेज 351, आरबीजे 2015 (22) पेज 210, आबीजे 2014 (21) पेज 327, आरबीजे 2017 (24) पेज 625, आरबीजे (4) 1997 पेज 480, आरबीजे (4) 1997 पेज 487, आरबीजे (9) 2002 पेज 180, आरबीजे 1997 (4) पेज 621, आरबीजे 1996 (6) पेज 64, आरबीजे 1996 (3) पेज 339, आरबीजे 1996 (3) पेज 483, आरबीजे 1996 (3) पेज 504, आरबीजे 1997 (4) पेज 436, आरबीजे 2017 (24) पेज 312, आरबीजे 2009 (2) पेज 246, आरबीजे 2002 पेज 398, आरबीजे 2002 (9) पेज 448, आरबीजे 2012 पेज 644 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सोहन लाल उर्फ दुर्गाशंकर धन्नादास के गोद गये थे और वहीं उनका पालन–पोषण हुआ था और धन्नादास की मृत्यु के बाद उनकी समस्त सम्पत्ति अपीलान्ट को प्राप्त हुई थी । उनका अंतिम संस्कार भी सोहन लाल ने किया था । सोहन लाल धन्ना लाल के मकान में रहता था । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा और रेस्पोडेन्टगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है । गोद जाने के कारण उनका इस आराजी में न तो कोई अधिकार है और न ही कोई कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति के जो आदेश पारित किये गये हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं है । धन्ना दास की आराजी यदि वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के खाते में दर्ज हुई है तो भी कोई विशेष अन्तर नहीं पडता है क्योंकि वो धन्नादास के गोद गया था । सोहन लाल ने अपने बयानों में स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि वो धन्नादास का गोदपुत्र है । यदि वादग्रस्त आराजी दौराने दावा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा बेचान की जाती है तो अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी । ऐसी स्थिति में दावे के निस्तारण तक प्रार्थी और अप्रार्थीगण को रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2019 यथावत रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 206, आरआरडी 1998 पेज 517, आरआरडी 1993 पेज 593 उद्धरत की ।

10. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

11. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2019 की फोटो प्रति, माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र दिनांक 12.02.2019 की फोटो प्रति पेश की गई हैं।

12. अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ भी कुछ दस्तावेजात पेश किये गये हैं जिनमें नामान्तरकरण संख्या 924 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार धन्नादास की आराजी सोहन लाल उर्फ दुर्गाशंकर के

खाते में वसीयतनामे के आधार पर दर्ज की गई है । एक वसीयत की फोटो प्रति, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2064–67, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2028–2047 नया खाता संख्या 231, जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, पारिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति, वोटर आई0डी0 की फोटो प्रति आदि पेश किये गये हैं ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था उसमें यह कथन किया है कि चूँकि सोहन लाल, धन्नादास के गोद चला गया है इस कारण सोहन लाल के हिस्से की आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे । धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि खातेदार दर्ज होने के कारण सोहनलाल आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । इस कारण उसे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे और आराजी का रहन, बेचान नहीं करे ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर शोक संदेश की प्रति, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2042–45 नया खसरा नम्बर 98, नामान्तरकरण संख्या 624 की फोटो प्रति, फोटो प्रति राशन कार्ड, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 नया खाता संख्या 231, फोटो प्रति सोहन लाल के वोटर आई0डी0, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2072–75 और फोटो प्रति निर्वाचक नामावली सन् 1981 की सूची, पंचनामे की फोटो प्रति, सोहन लाल के बयानों की फोटो प्रति, सुरेश पुत्र सोहन लाल के बयानों की फोटो प्रति, लक्ष्मीबाई के बयानों की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2007–2011 की फोटो प्रति, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल एवं फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2044–47 नया खाता संख्या 103, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2044–47, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2047–51, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2068–71 पेश किये हैं ।

15. पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है जिसमें वादी रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के गोद जाने के आधार पर अपीलान्ट के हिस्से पर हक घोषणा की प्रार्थना की है और धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया है कि अपीलान्ट को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी जो कि संयुक्त खाते की है उसके किसी भी हिस्से पर जबरन कब्जा नहीं करे, प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें और आराजी को रहन, बेचान नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश से दिनांक 06.05.2016 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया है । दिनांक 06.05.2016 को पक्षकारान को मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार संयुक्त खाते की है और प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के गोद जाने के आधार पर उनके हिस्से को अपने खाते में दर्ज करने की प्रार्थना की है । इस क्रम में हमारा यह मत है कि गोद के प्रश्न को तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को । इस क्रम में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्वरत नजीरें आरबीजे (19) 2012 पेज 644, आरबीजे 2002 (9) पेज 488, आरबीजे 1998 (5) पेज 563, आरबीजे 1996 (2) पेज 436 यहॉं चस्पा होती हैं । वादग्रस्त आराजी

संयुक्त खाते की है जिसमें एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्वरत नजीर आरबीजे 1996 (3) पेज 504, आरबीजे 2017 (24) पेज 312 यहॉ चस्पा होती हैं । तद्नुसार रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया प्ररकण नहीं बनता है न ही सुविधा का संतलन व अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2019 निरस्त किया जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा